

इमरती देवी बनाम बनारसी देवी
दावा मु0 न0 266/2021

23 5/25
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय अनुपस्थित। प्रकरण में सुनवाई हेतु बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद बार-बार आवाज लगाने पर वकूलाय अथवा पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



Rajvir Singh Yadav
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)